UPSI120001072024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)UP3785
CIS No-42/ 2024
उ०प्र० राज्य बनाम नीरज आदि।

अपराध संख्या-487/ 2022
धारा-323, 324, 325, 504,भा०दं०सं०
थाना- रेउसा, जनपद-सीतापुर।

आरोप

मैं **सुभाष** न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ- सीतापुर आप अभियुक्तगण नीरज, सौरभ व परशुराम को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूँ-

1- यह कि घटना दिनाँक 22.06.2022 को, समय करीब 18.00 बजे, बहद स्थान ग्राम महदेवा दक्षिण, थाना रेउसा, जिला सीतापुर में आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शान्ती देवी पत्नी सुरेश व उसके पुत्र प्रीतम अवस्थी को मार पीट कर स्वेचछया साधारण उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा० दं० सं० की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शान्ती देवी पत्नी सुरेश व उसके पुत्र प्रीतम अवस्थी को खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 324 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शान्ती देवी पत्नी सुरेश व उसके पुत्र प्रीतम अवस्थी को मार पीट कर घोर उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा शान्ती देवी पत्नी सुरेश व उसके पुत्र प्रीतम अवस्थी को लोक शांति भंग करने हेतु प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया। जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतदद्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण उक्त आरोपों में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक 30.03.2024

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनाँक 30.03.2024

(सुभाष)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.03.30 15:38:10 BOT
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division biswan